.....का पक्ष है।

17/7/23 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। वकील अप्रार्थी सं० 4 जवाब हेतु अवसर चाहते हैं अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब दि० 18/7/23 को पेश हो।

18.7.23 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित, वकील अप्रार्थी सं. 04 को कितनी बार जवाब हेतु अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अतः वकील अप्रार्थी सं. 4 का जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 116/22 प्रा० पत्र

1– श्रीमती–चाँदी प०श्री ज्वारा गाडरी निवासी-खेड़ादेवपुरा तहसील-माण्डल [वगैरा]

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री मांगु s/o श्री कालु जाट निवासी-खेड़ादेवपुरा तहसील-माण्डल [वगैरा]
(प्रहांकित प्रा०पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 18.07.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खेड़ा देवपुरा पटवार हल्का रहेका तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 369 कुल किता 01 रकबा 1.8843 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिससे प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.05.22 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए [illegible] न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम खेड़ा देवपुरा पटवार हल्का रहेका तहसील माण्डल में उसके खाते/सयुक्त खाते की आराजी न. 369 कुल किता 01 रकबा 1.8843 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक पीथास को 900/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा